

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247654 CG-DL-E-27072023-247654

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3230] No. 3230] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2023/श्रावण 5, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2023/SHRAVANA 5, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2023

का.आ. 3376(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, प्रयोगशाला प्रबंधन सूचना प्रणाली, पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और ब्लड बैंक प्रबंधन प्रणाली से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों एवं इसके सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

- (क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का कोई अभिहित कर्मचारी;
- (ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है;और
- (ग) मामला दर मामला के आधार पर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।
- 2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल-भाग(1)]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक 'जी'

4862 GI/2023 (1)

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2023

- **S.O.** 3376(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Hospital Management Information System, Laboratory Management Information System, Picture Archiving and Communication System and Blood Bank Management System, being Critical Information Infrastructure of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and the computer resources of its associated dependencies, to be protected systems for the purposes of the said Act and authorises the following persons to access the protected systems, namely:—
 - (a) any designated employee of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi authorised in writing by the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi to access the protected system;
 - (b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi for need-based access; and
 - (c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi on case to case basis.
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL-Part(1)]

SANDIP CHATTERJEE, SCIENTIST 'G'